

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर, चौहटन मुकाम चौहटन
व इजलास श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस.

अनवान :-

वादी - 1. भगाराम पुत्र मदरूपाराम, जाति जाट
निवासी नेतराड़, तहसील चौहटन
जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण - 1. राजूराम पुत्र मदरूपाराम, जाति जाट, निवासी नेतराड़
2. तहसीलदार चौहटन

वाद अर्न्तगत धारा 53,91, 188 RT Act.

मुकदमा नं. 838 / 2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु.ब.रु. न्यायालय बहाजरी श्री भवानी शंकर एड. मिनजानिब मुदाई व श्री वीरमाराम धारासर एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मौजा कोनरा वर्तमान गांव मंगल्लासर, पटवार क्षेत्र कोनरा में खसरा सं. 702/28 रकबा 67.11 बीघा (10.9346 हैक्टेयर) का आया हुआ है। उक्त विवादित खसरो की भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं। लगातार शेष पृष्ठ पर..... बीज मबलिंग बाबत पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक को अदा करे।

वसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 03.11.2022 को जारी की गई



दस्तखत.....
ओहदा सहायक कलक्टर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया (SDO) चौहटन
स्टाम्प अर्चा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
				मीजान

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे करना।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान	बरंग
1	भगाराम पुत्र मदरूपाराम कौम जाट, सा.देह खातेदार	मंगलासर	702/28	05.4673	बा.सो.	01.04	आसमानी
		योग	1	05.4673	बा.सो.	01.04	आसमानी
2	राजूराम पुत्र मदरूपाराम कौम जाट, सा.देह खातेदार	मंगलासर	702/28	05.4673	बा.सो.	01.04	पीला
		योग	1	05.467	बा.सो.	01.04	पीला

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।



(भागीरथ राम II)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 सहायक कलक्टर
 (SDO) चौहटन



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 40/2021

पीठासीन अधिकारी -श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

अनवान

वादी - 1.भगाराम पुत्र मदरूपाराम, जाति जाट
निवासी नेतराड़, तहसील चौहटन
जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण - 1.राजूराम पुत्र मदरूपाराम, जाति जाट, निवासी नेतराड़
2.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण - वादी वकील - श्री भवानी शंकर
प्रतिवादीगण वकील - श्री वीरमाराम



निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 53,91,188 RT Act.

दिनांक :- 03.11.2022

न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री एवं आदेशिक 02.09.2021 की पालना में तहसीलदार चौहटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार स्वयं ने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार फैशला किया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार नहीं किया गया और न ही प्रतिवादी या प्रतिवादी वकील के उस पर हस्ताक्षर है। तहसीलदार द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें और मौके की स्थिति में भिन्नता है। प्रतिवादी की ढाणी इससे प्रभावित हो रही है। इसलिए प्रतिवादी को इस विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति है। अतः निवेदन है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव खारीज किया जावे।


सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार स्वयं ने मौके पर जाकर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। विभाजन प्रस्ताव के साथ तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश छायाचित्र में उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित दिख रहे हैं। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि पूर्व में दो तीन बार विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जा चुके हैं। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बार बार विभाजन प्रस्ताव पर आपति पेश करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए न्यायालय के मतानुसार तहसीलदार चौहटन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायाहित में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा मौजा कोनरा वर्तमान गांव मंगलासर, पटवार क्षेत्र कोनरा में खसरा सं. 702/28 रकबा 67.11 बीघा (10.9346 हैक्टेयर) के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान	बरंग
1	भगाराम पुत्र मदरूपाराम कौम जाट, सा.देह खातेदार	मंगलासर	702/28	05.4673	बा.सो.	01.04	आसमानी
		योग	1	05.4673	बा.सो.	01.04	आसमानी
2	राजूराम पुत्र मदरूपाराम कौम जाट, सा.देह खातेदार	मंगलासर	702/28	05.4673	बा.सो.	01.04	पीला
		योग	1	05.467	बा.सो.	01.04	पीला

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) मय नक्शा निर्णय का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।


निर्णय आज दिनांक 03.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भागीस्थ राम II)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

आंशिक नक्शा किराया मोजा - मुंगलाहा
 प्रमाण - 1" = 80 गज

" राजस्व वाद सं. 838/2020 अन्यान भगवान धनाम राजू राम "



वामन राजकीस प्रमोजन कि.पु.सू.
 26 जापे के।
 पुमाठित पुत्रिपिपि
 06.10.2022
 गोविन्द क...
 पटवारी (निपुण) का.रा.
 महसील-चौहटन

Count
 3

- संकेत :-
1. भगवान कुत्र महसुपाराम कीम गज का.दे खासिया
 2. राजू राम कुत्र महसुपाराम कीम गज का.दे खासिया



सहायक कलक्टर
 (SDO) चौहटन

[Signature]

दीयराम

भगवानराम

06.10.22
[Signature]
 क.रा.

[Signature]
 महसीलदार चौहटन